



Neutral Citation No.- 2026:AHC:14284

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-3226 वर्ष 2025

कालू उर्फ कुलदीप

... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: संजय पाठक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, सोम वीर

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री संजय पाठक के साथ-साथ राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया। सूचनाकर्ता की ओर से कोई भी मौजूद नहीं है।
3. आवेदक ने 2023 के मुकदमा अपराध संख्या-29 में धारा 302, 34 भ०द०वि०, थाना-हाथरस गेट, ज़िला: हाथरस के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, शिवम @ शिबू को इस न्यायालय द्वारा 2023 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-30397 में पारित दिनांक 8.9.2025 के आदेश के तहत पहले ही ज़मानत पर बढ़ा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए वह समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा किये जाने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



भी हकदार है। आवेदक 9.2.2023 से जेल में बंद है, जिसका आपराधिक इतिहास है, जिसकी व्याख्या की गई है।

5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-आरोपी के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा ज़मानत के लिए उसका मामला बन जाता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938** में पारित निर्णय और **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/स्कोर/22410/2021** और **सर्तेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- **कालू उर्फ कुलदीप** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो भारी ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द०प्र०स० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से किसी भी तरह से गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 20, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)